प्रेस नोट दिनांक 29.08.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

☐ चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ व पशु तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी

☐ संगठित और सक्रिय गिरोह द्वारा किये जा रहे अपराध पर चन्दौली पुलिस की है सख्त निगरानी

☐ थाना अलीनगर द्वारा सघन चेकिंग दौरान सिंधीताली पुल के पास मिली सफलता

☐ 02 पिकअप में क्रूरतापूर्ण तरीके से बांधकर वध हेतु ले जा रहे 14 राशि गोवंश बरामद

डॉ0 ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी व श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन एवम् श्री आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 28.08.2024 को अलीनगर पुलिस टीम द्वारा NH-19 सिंधीताली पुल बिहार जाने वाली लेन से 02 पिकअप वाहन संख्या 1.UP67AT9388 से 08 राशि गोवश (1 राशि गाय, 07 राशि साङ) व 2. पिकअप संख्या BR45GB0955 से 06 राशि गोवंश (3 राशि गाय , 03 राशि साङ) बरामद किया गया। गोवशों को पिकअप वाहन से बिहार ले जाते हुए सिंधीताली पुल पर घेराबंदी के दौरान दोनो वाहनो के ड्राइवर मौके से जाम का लाभ उठाकर फरार होने मे सफल रहे। । फरार गो-तस्करों की शिनाख्त व तलाश जारी है।

मुकदमे का विवरण –

मु0अ0सं0 201/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

मु0अ0सं0 202/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक - 28.08.2024

समय - 17.00 बजे

स्थान – NH-19 सिंधीताली पुल बिहार जाने वाली लेन पर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी -

1. एक वाहन पिकअपUP67AT9388 से 08 राशि गोवश (1 राशि गाय, 07 राशि साङ)

2. एक वाहन पिकअप संख्या BR45GB0955 से 06 राशि गोवंश (3 राशि गाय , 03 राशि साङ)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3. उ.नि. मनीष कुमार सिंह चौकी प्रभारी जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
4. हे0 का0 अनिल पासवान थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
5. हे0 का सुधीर सिह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
6. का0 दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
7. का0 वीर बहादुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
8. का0 अनन्त कुमार सिह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 29.08.2024

थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

□थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा उ0प्र0 से बिहार अवैध शराब की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को 90 शीशी अवैध देशी ब्लू लाईम शराब (मात्रा 18 लीटर) के साथ किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु दिए गए आदेश निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में हरिनारायण पटेल प्रभारी निरीक्षक कन्दवा के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में मुखबीर की सूचना पर दिनांक 28.08.2024 रात्रि में ग्राम मुड्डा तिराहे के पास चेकिंग के दौरान एक बैग में कुल 90 शीशी ब्लू लाईम देशी शराब (मात्रा 18 लीटर) के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा यह बताया गया कि उक्त शराब को उ0प्र0 से खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों में विक्रय कर लाभ अर्जित करता है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-36/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. परमहंश सिंह पुत्र लालबिहारी यादव उम्र 38 वर्ष नि0 ग्राम छाता थाना दूर्गावती जनपद कैमूर बिहार

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-36/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

बरामदगी-

90 शीशी अवैध देशी शराब (18 लीटर) शराब बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रविकान्त चौहान (चौकी प्रभारी रामपुर) थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.हे0का0 देवेन्द्र सिंह चौकी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3. हे0का0 जिलाजित सरोज चौकी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

4. का0 अजय कुमार वर्मा चौकी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

5.का0 लक्ष्मण कुमार चौकी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली

दिनांक-29.08.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था

◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 29.08.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

□थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.08.2024 को उ0नि अवधेश सिंह मय हमराह के द्वारा थाना स्थानीय पर मोटर साइकिल चोरी से संबधित अभियोग मु0अ0सं0 83/24 धारा 317(2)/ 317(4)/317(5)/319(2)/ 318(4) BNS में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र राकेश निवासी न्यू कालोनी राबर्टसगंज थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र को 01 मोटर साइकिल के साथ बरहवा पुल मझगाई से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- दिनांक 25.08.2024 को थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 83/24 धारा 317(2)/ 317(4)/317(5)/319(2)/ 318(4) BNS से संबधित दो अभियुक्तों को सात मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था।

अपराधिक इतिहास का विवरण –

1.मु0अ0सं0 83/24 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/319(2)/318(4) BNS थाना नौगढ, चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.राहुल पुत्र राकेश नि0 न्यू कालोनी राबर्टसगंज थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र 18 वर्ष

बरामदगी- एक मोटरसाइकिल HF DELUX हीरो कम्पनी UP 64 AM 3285

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण -

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अवधेश सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

3.हे0का0 प्रिंस सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

4.हे0का0 ऋतुराज थाना नौगढ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 29.08.2024

थाना चकिया   जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

□गैंगेस्टर एक्ट के वांछित गैंग सरगना बुल्लू (अवैध बालू खनन करने वाले) को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव एवं क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में चकिया पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 151/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट   में वांछित अभियुक्त बुल्लू पुत्र रामअधार निवासी ग्राम छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को आज दिनांक 29.08.2024 को मुहम्मदाबाद नहर पुलिया से गिरफ्तार कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1. बुल्लू पुत्र रामअधार निवासी ग्राम छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 52 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.सं. 123/2020 धारा 379 भादवि व 26(1)(जी) भारतीय वन अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. मु.अ.सं. 64/2016 धारा 147/148/352/353/504/506 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली

3. मु.अ.सं. 102/2017 धारा 147/504/506/353 भादवि व 26(छ) भारतीय वन अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली

4. रेंज केस संख्या 48/2014-15 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

5. रेंज केस संख्या 19/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

6. रेंज केस संख्या 24/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

7. रेंज केस संख्या 26/2015-16 दारा 26(छ) भारतीय वन अधि0 रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली

8. मु.अ.सं. 151/24 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप नि0 अधि. 1986 थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

2.उ0नि0 परमानन्द त्रिपाठी थाना चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-29.08.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत गांजा तस्करी करने के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा.

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 2500 ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सुनाई गई सजा।

थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

दिनांक 07.06.1994 को आरोपी अभियुक्त 1.मुराहू दूबे पुत्र बेचन दूबे निवासी वार्ड नं0-10 पुरानी बाजार थाना चन्दौली जिला चन्दौली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या- 59/1994 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चन्दौली चन्दौली में पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विपिन मिश्रा (एपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-28.08.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.मुराहू दूबे पुत्र बेचन दूबे निवासी वार्ड नं0-10 पुरानी बाजार थाना चन्दौली जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रेस नोट दिनांक-29.08.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चोरी करने के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा.

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 06.02.2001 को धारा 379 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.नन्दू साव पुत्र भगवान दास उर्फ भगावन निवासी शिव गुलामपुर थाना बक्शा जनपद जौनपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 16/2001 धारा 379 भादवि थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विपिन मिश्रा (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी धीरज प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-28.08.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.नन्दू साव पुत्र भगवान दास उर्फ भगावन निवासी शिव गुलामपुर थाना बक्शा जनपद जौनपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-29.08.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं

□जनता की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर करे निस्तारण

□जनता से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में स्वयं थानाप्रभारियों से वार्ता कर दिए निर्देश

चन्दौली-

जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवक्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनाकर उसका गुण दोष के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद-07, परिवारिक विवाद 03, साइबर सम्बन्धित 02, अन्य विवाद-21 कुल-33 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

प्रेस नोट दिनांक- 29.08.2024

जनपद चन्दौली

□ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।

□ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।

□ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 04 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 29.08.2024 को ऐसे ही 04 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक-29.08.202

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत गो.नि.अधि0 के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा.

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती निकिता गौड़(सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 06.04.2002 को धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अनवर पुत्र अजीमुल्लाह निवासी वार्ड नं0-1 हंडिया थाना हंडिया जिला प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 90/2002 धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-29.08.2024 को पीठासीन अधिकारी श्रीमती निकिता गौड़ (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.अनवर पुत्र अजीमुल्लाह निवासी वार्ड नं0-1 हंडिया थाना हंडिया जिला प्रयागराज को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-29.08.202

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत गो.नि.अधि0 के दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा.

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती निकिता गौड़(सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 03.12.2002 को धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मकसुद आलम पुत्र मो0 आलम निवासी सराय रसुलपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली 2.मुकेश यादव पुत्र नरेश यादव निवासी अमारी थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ के विरुद्ध अपराध संख्या- 215/2002 धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-29.08.2024 को पीठासीन अधिकारी श्रीमती निकिता गौड़ (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा 02 अभियुक्त 1.मकसुद आलम पुत्र मो0 आलम निवासी सराय रसुलपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली 2.मुकेश यादव पुत्र नरेश यादव निवासी अमारी थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक 29.08.2024

थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

□थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप में वध हेतु क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे कुल 06 राशि गोवंश को किया गया बरामद

चंदौली:-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जा रहे कुल 06 राशि गोवंश को किया गया बरामद। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-आज दिनांक 29.08.2024 को उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराहियान को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जनपद चन्दौली से धरौली रोड होतु हुए बिहार की सीमा से बिहार राज्य होते हुए गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक एक पिकअप वाहन मे लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं इस सूचना पर उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराहियान द्वारा भतीजा गांव होते हुए ग्राम औरैया पहुँचा तो देखा कि ग्राम औरैया सुनील खरवार के मकान के पास भीड़ दिखाई दिया। उक्त भीड़ के पास पहुँचा जहां देखा कि एक पिकअप वाहन एक नाली में फँसी हुई है जिसमें गोवंश लदे हुए है। पीकअप वाहन संख्या अज्ञात को को कब्जा पुलिस में लिया गया। वाहन उपरोक्त का चालक मौके से फरार हो गया है। उपरोक्त बरामद वाहन से कुल 06 राशि गोवंश की बरामदगी की गयी। बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं.152/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रू.नि.अधि. का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1.06 राशि गोवंश जिसमे 03 राशि साड़ व 03 राशि गाय

2.एक पिकअप वाहन संख्या अज्ञात

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उप निरीक्षक विजय प्रताप सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली

3.हे.का. विजय कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली

4.का. रामसिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

5.का. प्रमोद यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट-दिनांकः 29.08.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 02 दिवस में कुल 378 वाहनों का चालान करते हुए 5,06,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.08.2024 से दिनांक 29.08.2024 तक जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 378 वाहनों का चालान करते हुए 5,06,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार	चालान की संख्या

1 बिना सीट बेल्ट- 05

2 ड्राइविंग के समय मोबाईल का प्रयोग- 02

3 बिना हेलमेट- 138

4 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी- 27

5 नो पार्किंग- 98

6 गलत नम्बर प्लेट- 10

7 लाइसेंस ना होना- 07

8 गलत दिशा - 32

9 बेबजह हॉर्न बजाना- 00

10 बिना फिटनेस- 09

11 बिना बीमा- 13

12 बिना परमिट- 14

13 अन्य- 23

यातायात नियमों के उलंघन में 02 दिवस में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-378

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-5,06,000/- रूपयें।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 29.08.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

□सभी का उद्देश्य जनकल्याण व मानव समाज की सेवा करना शासन-प्रशासन महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान व सशक्तिकरण हेतु है प्रतिबद्ध

□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 07 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावानी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 07 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस नोट दिनांक-29.08.2024

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक-29.08.202

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा.

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.04.1996 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.कन्हैया लाल पुत्र दुखरन मल्लाह निवासी बगही न-2 थाना रामनगर जिला वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 90/1996 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-29.08.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.कन्हैया लाल पुत्र दुखरन मल्लाह निवासी बगही न-2 थाना रामनगर जिला वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 29.08.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 47 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 29.08.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 47 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।